भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 508

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

शहरों में पीएम-एसजीएमबीवाई को अपनाना

508. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) को विशेषकर बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में अपनाने की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) सरकार द्वारा इन शहरों में विशेषकर अपार्टमेंट परिसरों में अधिकतम कबरेज सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) विभिन्न राज्यों में मुफ्त बिजली योजनाओं को अपनाने में क्या बाधाएं आ रही हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) रूफटॉप सोलर (आरटीएस) प्रणालियों की स्थापना हेतु एक मांग-आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार , देश भर में इस योजना के अंतर्गत कुल 18,99,494 आरटीएस प्रणालियाँ स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे 23,79,580 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई शहरों में पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत हुई प्रगति इस प्रकार है:

जिला	स्थापित आरटीएस प्रणाली	लाभान्वित परिवार
बेंगलुरु ग्रामीण	386	386
बेंगलुरु शहरी	4,984	11,854
मुंबई	117	5,100
मुंबई उपनगरीय	311	13,123
हैदराबाद	2,071	4,135
चेन्नई	5,307	7,357
कुल	13,176	41,955

सरकार ने बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों सहित पूरे देश में इस योजना का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो दर +50 bps अर्थात वर्तमान के लिए 6% प्रतिवर्ष पर 10 वर्षों की समयावधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को समाप्त करके और 10 किलोवाट तक स्वचालित भार वृद्धि शुरू करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- रेस्को/यूटिलिटी आधारित एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल शामिल किए गए हैं।
- नेट मीटरिंग करार को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बनाया गया है।
- पर्याप्त और योग्य वेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- कुशल जनशक्ति (मैनपावर) तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है।
- क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- शिकायतों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

अपार्टमेंट परिसरों में अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों/आवासीय कल्याण संघों को ईवी चार्जिंग सहित सामान्य सुविधाओं के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वर्चुअल नेट-मीटरिंग और ग्रुप नेट-मीटरिंग मोड के माध्यम से आरटीएस स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ग): कम बिजली दर वाले उपभोक्ताओं या मुफ़्त बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए PMSG: MBY को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (ULA)/रेसको मॉडल के तहत RTS की स्थापना की अनुमति दी है। मंत्रालय ने ULA मॉडल के तहत पहले ही कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है।

****